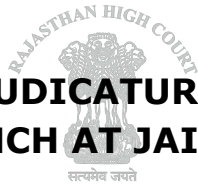


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 5732/2023

Purshottam Saini Son of Shri Kishan Gopal Mali, Aged About 35 Years, Resident of Plot No. 13-A, Adarsh Basti, Gali No. 4, Barkat Nagar, Tonk Phatak, Jaipur (Rajasthan).

----Complainant/Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. Director General of Police, Rajasthan, Jaipur.
3. Commissioner of Police, Jaipur, Rajasthan.
4. Deputy Commissioner of Police, Jaipur City (South), Jaipur.
5. SHO, Police Station, Muhana, Jaipur City (South), Jaipur.

----Respondents

For Petitioner(s)	: Ms. Abhilasha Sharma, Adv. Mr. Ramesh Chandra Sharma, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Rhishi Raj Singh Rathore, PP

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

13/02/2026

- 1** याची/परिवादी की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **482 सीआरपीसी (528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **364/2021**, पुलिस थाना— **मुहाना**, जिला— **जयपुर शहर (दक्षिण)**, अपराध अंतर्गत धारा **420, 406, 506, 120—बी भारतीय दंड संहिता** की शीघ्र, प्रभावी, निष्पक्ष जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करवाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
- 2** विद्वान अधिवक्ता याची/परिवादी का कथन है कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा पुलिस थाना—मुहाना, जयपुर शहर (दक्षिण) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 364/2021 में प्रभावी एवं निष्पक्ष रूप से अनुसंधान नहीं किया जा रहा है, अतः प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी

को निर्देश दिये जावे कि प्रकरण में यथाशीघ्र प्रभावी एवं निष्पक्ष अनुसंधान की कार्यवाही कर अपनी रिपोर्ट विचारण न्यायालय में यथाशीघ्र प्रस्तुत करे।

- 3 विद्वान लोक अभियोजक ने याचिका का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रस्तुत मामले में अनुसंधान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शीघ्र प्रभावी एवं निष्पक्ष रूप से अनुसंधान किया जा रहा है एवं साथ ही कथन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Sakiri Vasu Vs. State of Uttar Pradesh, AIR 2008 Supreme Court 907** के अनुसार अनुसंधान के पर्यवेक्षण करने की अधिकारिता मजिस्ट्रेट को उपलब्ध है फिर भी याची/परिवादी को यदि कोई व्यथा है तो वह संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय में उपस्थित होकर धारा 233 बीएनएसएस के तहत यथोचित कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।
- 4 मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।
- 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Sakiri Vasu (Supra)** के मामले में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेट को अनुसंधान का पर्यवेक्षण करने की अधिकारिता प्राप्त है, ऐसी स्थिति में यदि याची/परिवादी को उक्त अनुसंधान के संदर्भ में कोई व्यथा है तो वह सक्षम मजिस्ट्रेट न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।
- 6 याची/परिवादी की ओर से यदि कोई प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो विद्वान विचारण न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त प्रार्थना पत्र का विधि अनुसार शीघ्रता से निस्तारण करेंगे।
- 7 अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उक्त याचिका उपरोक्त अनुसार निस्तारित की जाती है।
- 8 प्रकरण से संबंधित यदि कोई अन्य प्रार्थना पत्र लंबित हों, तो वे भी निस्तारित किए जाते हैं।

(BHUWAN GOYAL),J